



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर नाबालिक लडकी से छेड़खानी करने वाले अभियुक्त को 05 वर्ष के कठोर कारावास व 15,000 रु0 के अर्थदण्ड की सजा दिलवाई गई,,



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत अ0सं0-728/2013 धारा-452,354क(1),506 भा0द0सं0 व 8 पॉक्सो एक्टमें सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय विशेष पॉक्सो कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा अभियुक्त उमेश कुमार उर्फ मम्मू पुत्र अम्बिका प्रसाद भटनागर निवासी पठनऊ कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर को 05 वर्ष के कठोर कारावास व 15,000 रु० के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।



ADGC
श्री अवधनरेश सिंह चंदेल



विवेचक- उ0नि0 श्री
राजनारायण त्रिपाठी



पैरोकार राठ
का0 प्रदीप भार्गव

